Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No.185-2017/Ext.] CHANDIGARH, SUNDAY, OCTOBER 22, 2017 (ASVINA 29, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 22nd October, 2017

No. 37-HLA of 2017/92/20833.— The Haryana Settlement of Outstanding Dues Bill, 2017, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 37- HLA of 2017

THE HARYANA SETTLEMENT OF OUTSTANDING DUES BILL, 2017

A

Bill

to provide for expeditious recovery of outstanding dues by way of settlement under various Acts by offering Settlement Scheme thereunder and matters connected therewith or incident thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Settlement of Outstanding Dues Act, 2017.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(i) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(ii) "outstanding dues" means any tax, interest, penalty or any other dues under any of the relevant Act, unpaid by a person, whether quantified or not, for the period upto the 31st March, 2017;

(iii) "relevant Act" means an Act mentioned in the Schedule;

(iv) "Schedule" means Schedule appended to this Act;

(v) "scheme" means a scheme, as notified by the Government under this Act, containing such terms and conditions, as it may deem fit, for expeditious recovery of outstanding dues under any of the relevant Act.

Framing of scheme.

3. Notwithstanding anything to the contrary contained in the relevant Act or rules framed thereunder, the Government may, by notification in the Official Gazette, notify one or more scheme for settlement of outstanding dues and matters connected therewith or incidental thereto covering payment of tax, interest, penalty or any other dues under the relevant Act which related to any period upto the 31st March, 2017, subject to such conditions and restrictions, as may be specified in the scheme, covering period of limitation, rate of tax, tax, interest, penalty or any other dues payable by a person, importer, proprietor, owner, class of dealers, classes of dealers or all dealers.

Repeal and savings.

4. (1) The Haryana Settlement of Outstanding Dues Ordinance, 2017 (Haryana Ordinance No.1 of 2017) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

Schedule

Serial Number	Name of the Act
1	The Haryana General Sales Tax Act, 1973 (Haryana Act 20 of 1973) (Repealed)
2	The Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Haryana Act 6 of 2003)
3	The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956)
4	The Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (Haryana Act 13 of 2000) (Repealed)
5	The Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008 (Haryana Act 8 of 2008) (under litigation)
6	The Haryana Tax on Luxuries Act, 2007 (Haryana Act 23 of 2007)
7	The Punjab Entertainments Duty Act, 1955 (Punjab Act 16 of 1955)
8	The Punjab Passengers and Goods Taxation Act, 1952 (Punjab Act 16 of 1952) (Repealed)
9	The Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914)

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A new taxation system under the GST law was implemented with effect from 01 July, 2017. Large amount of arrears including tax, penalty and interest, under the Acts administered by the Excise & Taxation Department were outstanding for a long time which were difficult to be recovered due to disputed demands at multiple levels and weak financial position of the defaulters. With a view to move ahead in the GST regime with lesser baggage of arrears and litigations and to expedite recovery of outstanding dues the State of Haryana needed to bring out Settlement Scheme(s) expediting recovery of outstanding dues under various Acts administered by the Department.

As there were no provision under the Acts administered by the Department under which a Scheme could be brought out for settlement of outstanding dues, therefore, with a view to enable the Government to notify one or more Schemes for settlement of outstanding dues in the Acts administered by the Department, the enactment of a Legislation proposed by the Department was approved by the Council of Ministers in its meeting held on 01 June, 2017 *vide* U.O. No. 9/186/2017-2 Cabinet dated 01 June, 2017. In order to give effect to this decision, as the State Legislature was not in Session, an Ordinance namely the Haryana Settlement of Outstanding Dues Ordinance, 2017 was issued by the Governor of Haryana *vide* Notification No. Leg.24/2017 published on 15.06.2017.

In order to give effect to the above decision, it will be necessary to regularize the Haryana Settlement of Outstanding Dues Ordinance, 2017 (Haryana Ordinance No.1 of 2017).

Hence this Bill.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Excise & Taxation Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 22nd October, 2017.

R.K.NANDAL,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2017 का विधेयक संख्या–37 एच.एल.ए.

हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन विधेयक, 2017
विभिन्न अधिनियमों के अधीन व्यवस्थापन के रूप में उनके अधीन व्यवस्थापन स्कीम पेश करते हुए बकाया देयों की शीघ्र वसूली और उससे संबंधित या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ii) ''बकाया देय'' से अभिप्राय है, किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान न किया गया कोई कर, ब्याज, शास्ति या कोई अन्य देय, चाहे निर्धारित किया गया हो या नहीं ;

(iii) ''सुसंगत अधिनियम'' से अभिप्राय है, अनुसूची में वर्णित अधिनियम ;

(iv) ''अनुसूची'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची ;

(v) ''स्कीम'' से अभिप्राय है, किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन बकाया देयों की शीघ्र वसूली के लिए ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जो वह ठीक समझे, को अन्तर्विष्ट करते हुए, इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा यथा अधिसूचित स्कीम।

स्कीम बनाना।

3. सुसंगत अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, परिसीमा काल, किसी व्यक्ति, आयातकर्ता, मालिक, स्वामी, व्यवहारियों की श्रेणी, व्यवहारियों की श्रेणियों या सभी व्यवहारियों द्वारा भुगतानयोग्य कर की दर, कर, ब्याज, शास्ति या किन्हीं अन्य देयों को शामिल करते हुए, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन, सुसंगत अधिनियम के अधीन कर, ब्याज, शास्ति या किन्हीं अन्य देयों, जो 31 मार्च, 2017 तक की किसी अवधि से संबंधित हैं, के भुगतान को शामिल करते हुए बकाया देयों तथा उससे संबंधित या उनसे आनुषंगिक मामलों के व्यवस्थापन के लिए एक या अधिक स्कीम अधिसूचित कर सकती है।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

4. (1) हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अध्यादेश, 2017 (2017 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	अधिनियम का नाम
1.	हरियाणा साधारण विक्रय–कर अधिनियम, 1973 (1973 का हरियाणा अधिनियम 20) (निरसित)
2.	हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का हरियाणा अधिनियम 6)
3.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74)
4.	हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का हरियाणा अधिनियम 13) (निरसित)
5.	हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का हरियाणा अधिनियम 8) (वाद अधीन)
6.	हरियाणा सुख–साधन कर अधिनियम, 2007 (2007 का हरियाणा अधिनियम 23)
7.	पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम 16)
8.	पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 16) (निरसित)
9.	पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1)

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

दिनांक 1 जूलाई 2017 से जी.एस.टी. कानून के तहत एक नयी कराधान प्रणाली लागू की जा चूकी है। आबकारी व कराधान विभाग द्वारा प्रद्धत कानूनों के तहत कर, जुर्माना और शास्ति सहित बकाया भारी राशि देय थी जिसे कई स्तरों पर विवादित मांगों एवं बकाया देनदारों की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण वसूल कर पाना कठिन था। कम बकायों एवं मुकदमेबाजी से मुक्त जी.एस.टी. शासन में आगे बढने और बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के लिए हरियाणा राज्य में विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न नियमों के तहत व्यवस्थापन स्कीम लागू करने की आवश्यकता थी।

चूंकि, विभाग द्वारा प्रशासित कानूनों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नही था, जिसके तहत विभाग, प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के तहत बकाया राशि के व्यवस्थापन के लिए एक स्कीम लाई जा सके। इसलिए सरकार द्वारा एक या अधिक स्कीमों को अधिसूचित करने के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित कानूनों को 1 जून, 2017 को मंत्री मंडल की बैठक में यू0ओ0 संख्या 9/186/2017–2 के द्वारा मंजूरी दी गई। क्योंकि उस समय हरियाणा राज्य विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए बकाया देय की वसूली के लिए इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए, ''हरियाणा एक बार व्यवस्थापन अध्यादेश 2017'' अधिसूचना संख्या Leg.24/2017 दिनांक 15 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित किया गया।

उपरोक्त निर्णय के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए ''हरियाणा एक बार व्यवस्थापन अध्यादेश 2017'' (2017 का अध्यादेश संख्या 1) को नियमित कराना आवश्यक होगा।

अतः यह विधेयक।

कैप्टन अभिमन्यु,
आबकारी व कराधान मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 22 अक्तूबर, 2017.

आर. के. नांदल,
सचिव।

55703—H.V.S.—H.G.P., Chd.